अन्तिम डिक्री

(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी)

(civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम अराई (अजमेर)

व इजलास श्री देवी लाल यादव (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 44/1996 नवीन मु.नं. 04 /2020 उनवान पांचू बनाम केसर

1. पांचू पुत्र श्री छीतर
2. बन्ना पुत्र श्री छीतर
3. मदन पुत्र श्री छीतर
4. रामकरण पुत्र श्री शोराम
5. श्रीमति हीरा पत्नी श्री शोराम

समस्त जाति बैरवा निवासीगण ग्राम गेहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।

.... वादीगण

बनाम

1. श्रीमति केसर पत्नी बींजा(फौत)
   1/1 रामदेव (पुत्र)
   1/2 चौथू (पुत्र)
   1/3 मांगू (पुत्र)
   1/4 रामचन्द्र (पुत्र)
   1/5 राधाकिशन (पुत्र)
   1/6 चौथी (पुत्री)
   1/7 फूला (पुत्री)
   1/8 छग्गू (पुत्री)
   1/9 पांची पुत्री कालू पत्नी मदन बैरवा निवासी काकलवाडा
2. राधाकिशन पुत्र श्री बींजा
3. अमरा पुत्र नारायण
4. भूरा पुत्र नारायण
5. रामधन पुत्र नारायण समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम गेहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई जिला अजमेर राज.।

.......प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.05.27 18:22:16 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत :– धारा 88,188,53 (राज.का. अधि.1955)
मुकदमा नम्बरः– 44/1996, नवीन 04/2020
निर्णय दिनांकः– 02/2/2024

न्यायालय अरांई में उभयपक्ष अधिवक्ता की उपस्थिती में वाद पत्र व बहस सुनने के बाद तारीख .... को डिक्रीद्वारा पीठसीन अधिकारी श्री देवीलाल यादव के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वादी

सहायक कलक्टर
अरांई

रा प्रस्तुत दस्तावेजात, बहस वकील उभयपक्ष तथा अनुसार तनकीयात एवं साक्ष्य वादी के आधार पर
दी का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राज.का. अधि. 1955 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा
पस्थित साक्ष्य एवं तनकीयात विवेचन के आधार पर ग्राम गेहलपुर स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 328,
329, 330, 331 में लालू वल्द फत्ता के 1/3 हिस्से विरासत के नामान्तरण में हुये त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को
दुरूस्त करते हुये केसर पत्नी कालू की वारिस प्रतिवादी संख्या 1/9 पांची को उपरोक्त वादअधीन भूमि
गेहलपुर स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 328, 329, 330, 331 में 1/12 हिस्से में तथा शोराम उर्फ
श्याराम पुत्र लालू के वारिसानों को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता
है तथा वाद को डिक्री किया जाकर तहसीलदार अरांई को राजस्व रिकार्ड में उक्त आदेशानुसार दुरूस्ती
कर अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं।

यह डिक्री आज तारीख 02/2/2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर से जारी की गई।

देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
अरांई

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.05.27 18:22:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

• राजस्व वाद संख्या 44/1996 नवीन 04 /**2020** •

1. पांचू पुत्र श्री छीतर
2. बन्ना पुत्र श्री छीतर
3. मदन पुत्र श्री छीतर
4. रामकरण पुत्र श्री शोराम
5. श्रीमति हीरा पत्नी श्री शोराम

समस्त जाति बैरवा निवासीगण ग्राम गेहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान ।

..........वादीगण

बनाम

1. श्रीमति केसर पत्नी बींजा(फौत)
   1/1 रामदेव पुत्र
   1/2 चौथू पुत्र
   1/3 मांगू पुत्र
   1/4 रामचन्द्र पुत्र
   1/5 राधाकिशन पुत्र
   1/6 चौथी पुत्री
   1/7 फूला पुत्री
   1/8 छग्गू पुत्री
   1/9 पांची पुत्री कालू पत्नी मदन बैरवा निवासी काकलवाडा
2. राधाकिशन पुत्र श्री बींजा
3. अमरा पुत्र नारायण
4. भूरा पुत्र नारायण
5. रामधन पुत्र नारायण समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम गेहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राज।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई जिला अजमेर राज.।

.......प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– धारा 88,188,53 (राज.का. अधि.1955) मुकदमा नम्बरः– 44/1996, नवीन 04/2020

आदेश

निर्णय दिनांक 02/2/2024

1. संक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि [illegible] श्री जसराज ने वाद अन्तर्गत धारा 88,188,53 (राज.का. अधि.1955) के तहत उप[illegible]लय किशनगढ में पेश किया तथा दिनांक 29.03.1996 को जांच बाद प्रकरण 44/1996 पर [illegible] जाकर प्रतिवादीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। उक्त प्रकरण [illegible] न्यायालय अराई में उपखण्ड न्यायालय किशनगढ से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर पुनः 04/[illegible]20 पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद में वादीगण की और से वकील वादी श्री जसराज ने दावा किया वादीगण व प्रतिवादीगण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.05.27 18:22:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अरांई

पारिवारिक सजरा निम्नानुसार है:— लालु पुत्र फत्ता के चार पुत्र है शोराम, चन्द्रा(नाऔलाद फौत),कालू तथा रामा (नाऔलाद फौत), इसी प्रकार शोराम के दो पुत्र हैं छीतर तथा रामकरण एवं छीतर के तीन पुत्र है पांचू, बन्ना एवं मदन। यह है कि वादीगण 01 से 03 के परदादा तथा वादी संख्या 04 के दादा एवं श्रीमति हीरा प्रतिवादी संख्या 05 के दादी ससुर ग्राम गेहलपुर स्थित खसरा संख्या 328, 329, 330, 331 के सहकास्तकार थे। जमाबन्दी वर्ष सम्वत 2018 में उनका हिस्सा बराबर बराबर था जो इस प्रकार है लालू पुत्र फत्ता हिस्सा 1/3, छीतर रामकरण श्योदान हिस्सा 1/3 बहिस्सा बराबर, नारायण भैंरू रिद्धकरण छोटी पितरान काना 1/3 बहिस्सा बराबर कौम बैरवा सा. देह शिकमी दर्शाया गया है तथा उन्हें इस कृषि भूमि का विधिवत खातेदार घोषित किया गया है। जैसा कि सजरा में दर्शाया गया है लालू वल्द फत्ता के चार पुत्र थे उनमें से दो चन्द्रा व रामा नाऔलाद फौत हो गये और लालू के वारिसान मात्र शोराम व उसके वारिसान एवं कालू ही रहे। कालू ने अपने जीवन काल में प्रतिवादीया संख्या 01 केसर को बतौर रखेल रख लिया यद्यपि राजस्व कर्मचारियों ने उसे नाता का नाम दिया। तथा कालू की मौत के उपरान्त चूंकि प्रतिवादीया कालू के साथ हिन्दु विवाह अधिनियम के तहत विवाह सम्पन्न नहीं हुआ अथवा प्रतिवादीया संख्या 01 कालू की उत्तराधिकारी नहीं बन सकती थी जिसके कारण लालू पुत्र फत्ता का 1/3 हिस्सा उसके उत्तराधिकारीयों विधिवत केवल और केवल शोराम व उसके वारिसानों के हो सकते अर्थात विवादित कृषि भूमि ग्राम गेहलपुर खसरा संख्या 328, 329, 330, 331 के लालू वल्द फत्ता के 1/3 हिस्से के लालू की मृत्यु के बाद वादीगण ही प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

2. यह है कि प्रतिवादीया संख्या 01 केसर चतुर प्रकार की औरत थी उसने कालू की मृत्यु के उपरान्त अपने आप को उसके ससुर लालू की पत्नी बताते हुये जबकि वह कालू की रखैल थी, लालू की मौत के बाद उसका विवादित कृषि भूमि का 1/3 हिस्सा स्थानीय राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत से अपने नाम कराने का प्रयास किया तथा नामान्तरण के समय छीतर एवं रामकरण के एतराज करने पर लालू वल्द फत्ता की 1/3 जायदाद का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 केसर के तथा 1/2 हिस्सा छीतर व रामकरण के नाम अंकित करने के आदेश माननीय तहसीलदार ने दिये। उक्त आदेश के बावजूद 26.01.1990 को नामान्तरण संख्या 94 के जरिये केशर बेवा लालू व छीतर व रामकरण शोराम हिस्सा 2/3 दर्ज करवा लिया जो कि प्रतिवादीया संख्या 01 की बदनियती थी और इस नामान्तरण का नाजायज फायदा उठा कर उसने अपना हिस्सा 1/3 जो उसका नहीं था, उसे अपने पूर्व पति से उत्पन्न लडके राधाकिशन वल्द बींजा के नाम बिना वास्तविक शुल्क 07.05. 1990 को रूप्ये 12000/— में बेचान बताकर नामान्तरण संख्या 96 दिनांक 05.07.1990 राधाकिशन वल्द बींजा के नाम 1/3 हिस्सा जो मृतक लालू वल्द फत्ता का था। यहां यह कहना भी उचित होगा कि प्रतिवादीया संख्या 01 केसर लालू की पत्नी नहीं बल्कि लालू के पुत्र कालू की रखैल मात्र थी और उसने राजस्व विभाग को धोखा एवं कपट पूर्वक अपने आपको मृतक लालू की पत्नी दर्शा दिया जो कि कतई गलत है। यह है कि राधाकिशन पुत्र बींजा ने उक्त विवादित जायदाद का 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अमरपुरा रामधन पुत्र नारायण जाति बैरवा को हस्तान्तरित कर दिया। प्रतिवादीगण के उपरोक्त सरेकृत्य विधि विरूद्ध है। इन सब नामान्तरण एवं बेचान के उक्त जायदाद पर वादीगण का कब्जा है। यह है कि विवादित कृषि भूमि में मृतक लालू पुत्र फत्ता के 1/3 हिस्से के खातेदार उसके वारिस [illegible] ण ही हैं। यदि मान भी लिया जाये कि प्रतिवादीया कालू की नाते की औरत थी [illegible] मात्र 1/3 हिस्से का 1/2 हिस्सा अर्थात 1/6 हिस्सा ही प्राप्त करने की अधिकारिणी है [illegible] यह है कि प्रतिवादीया संख्या 02 से 05 तक ने प्रतिवादीया [illegible] रूप से विवादित जायदाद का हिस्सा क्रय किया है। उससे उनका बेचान काबिले खारिज [illegible] से जायदाद पर किसी भी प्रकार का अधिकार बेचान द्वारा प्राप्त नहीं होता है। यह है कि राजस्व मण्डल राजस्थान के सहकृषको के बाबत लार्जर बैंच के निर्णय के अनुसार एक सहकृषक के हिस्से का क्रय करने पर जब तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.05.27 18:22:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अरांई

विधिवत बंटवारा नहीं हो जाता क्रेता को उस भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। यह है कि वादीगण मृतक लालू पुत्र फत्ता के 1/3 हिस्से को वारिसान के नाते प्राप्त करने के अधिकारी है एवं घोषणात्मक आदेश व डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा इंच टू इंच बंटवारा करने के अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 08.03.1996 को उत्पन्न हुआ। वादीगण की श्रीमान से प्रार्थना है कि वाद पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमि में लालू पुत्र फत्ता के 1/3 हिस्से का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। और यदि प्रतिवादीया संख्या 01 को लालू के पुत्र कालू की नाते की औरत मान लिया जावे तो 1/3 हिस्से की 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा विवादित भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 से 05 को बेचान शुन्य घोषित किया जावे।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 05.06.1996 को प्रतिवादी संख्या 01,02 की ओर से वकील श्री इन्द्रेश के रामचन्दानी ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 14.01.1998 को वकील प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें उन्होने मय प्रतिवाद पत्र के पेश किया तथा निवेदन किया कि वादपत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित तथ्य इस संशोधन के साथ कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी लालू पुत्र फत्ता है, खसरा संख्या 328 से 331 ग्राम गेहलपुर में स्थित है, उपरोक्त कृषि भूमि के सहखातेदार उपरोक्त लालू पुत्र फत्ता एवं नारायण, भैंरू आदि पुत्रगण काना बैरवा होना तथा चन्द्रा, रामा, पुत्रगण लालू का नाऔलाद फौत होना स्वीकार है। किन्तु इस पैरा के शेष कथन गलत एवं अस्वीकार है। लालू पुत्र फत्ता के चार पुत्र संतान शोराम, चन्दा एवं कालू व रामा थे एवं उनका संयुक्त हिन्दु परिवार था। उपरोक्त लालू पुत्र फत्ता उसके पुखिया थे। इस पैरा में उल्लेखित कृषि भूमि संयुक्त परिवार श्रम अर्थ से विकसित की गई थी। उपरोक्त कृषि भूमि में नारायण आदि पुत्रगण काना का 1/3 हिस्सा होना स्वीकार है। शेष भूमि लालू के संयुक्त हिन्दु परिवार के संयुक्त कब्जे काश्त में थी। उपरोक्त लालू पुत्र फता के देहावसान से उपरोक्त कृषि भूमि में उपरोक्त भूमि में लालू के सम्पूर्ण हित अधिकार खातेदारी उनके पुत्रगण श्योराम, चन्दा, कालू तथा रामा में न्यसत हो गये। उपरोक्त चन्दा, रामा का निसंतान देहावसान होने से इस भूमि में सारे अधिकार श्योराम एवं कालू में न्यसत हो गये। इस प्रकार श्योराम एवं कालू बहिस्सा बराबर के सहखातेदार हो गये। उतरकर्ता प्रतिवादी संख्या 01 के पूर्व पति बींजा एवं उपरोक्त कालू की पूर्व पत्नी के देहावसान के पश्चात उपरोक्त कालू ने उतरकर्ता प्रतिवादी संख्या 01 से जातीय रीतीरिवाज से विधवा विवाह किया। वादीगण के पूर्वाधिकारी की जानकारी में प्रतिवादी संख्या 01 एवं उपरोक्त कालू ने अपने जीवन पर्यन्त पति पत्नी के रूप में सहचर्य अधिवास किया है। उतरकर्ता प्रतिवादी संख्या 01 जाति समाज में आज तक कालू की पत्नी के रूप में जानी जाती है। कालू की मृत्यु के उपरान्त उसकी हिस्से की समस्त भूमि में प्रतिवादीया संख्या 01 के अधिकार न्यस्त हो गये। इसी प्रकार उपरोक्त श्योराम के देहावसान के बाद उसके हिस्से में वादीगण के अधिकार न्यस्त हो गये। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वाद अधीन भूमि पर वादीगण ने उनके पूर्वाधिकारी श्योराम के देहावसान के उत्तरकर्ता प्रतिवादी संख्या 01 के उपरोक्त कृषि भूमि न्यस्त हित अधिकार अन्तरण से उद्वेलित होकर एवं उसको हडप करने के उद्देश्य से यह मिथ्या वाद प्रस्तुत किया है जो कि [illegible] तनीय है। वाद के पैरा संख्या 02 के कथन गलत व अस्वीकार है। प्रतिवादीया [illegible] ग्रामीण परिवेश की अनपढ बेसहारा महिला है। उसके पति के देहावसान [illegible] जीविकोपार्जन के लिये उसने उपरोक्त भूमि का बेचान दिनांक 07.05.1996 को प्रतिवादी संख्या 02 को विक्रय कर उनसे 12000/– नकद प्राप्त कर लिये थे, उस समय प्रतिवादी संख्या 01 मौके पर काबिज थीं तथा उसी अनुसार उसने विक्रेता को कब्जा संभला दिया था। यदि प्रतिवादी संख्या 01 के पति कालू के स्थान पर तथाकथित राजस्व त्रुटियुक्त अंकन से लालू का नाम अंकन हो गया हो तो यह अंकन सादृश्य कारणों से है। इसमें प्रतिवादीया संख्या 01 की कोई दुरभावना नहीं थी, प्रतिवादीया संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.05.27 18:22:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अरांई

01 अशिक्षित थी। यह मिथ्याचार है कि राजस्व कर्मचारियों के समक्ष उक्त प्रतिवादी संख्या 01 ने लालू की पत्नी होने का प्रदर्शन किया हो। सत्य तो यह है कि उतरकर्ता प्रतिवादी संख्या 01, कालू की पत्नी थी तथा उसी का प्रदर्शन किया है। इस त्रुटियुक्त अंकन की जानकारी तो प्रस्तुत वाद को पढाने एवं समझाने पर उतरकर्ता प्रतिवादी को हुई है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के अन्य पैरा भी वकील प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने गलत व अस्वीकार बताते हुये वाद कारणाभाव में वाद को मय व्यय खारिज करने का निवेदन किया।

4. प्रतिवादीगण की ओर से जवाबप्रतिदावा प्रस्तुत होने से प्रकरण में दिनांक 01.05.1998 को प्रकरण में तनकीयात बिन्दु कायम किये गये। दिनांक 30.06.1999 को रामकरण पुत्र श्योराम के बयान लिये गये। दिनांक 04.09.1999 को हरचन्दा के बयान लिये गये। दिनांक 13.12.2000 को प्रतिवादी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि प्रतिवादीया संख्या 01 केसर की मृत्यु हो चुकी है। दिनांक 14.02.2001 को प्रतिवादीया संख्या 01 के एल. आर. के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के वकीलान की बहस सुनी गई तथा दिनांक 16.03.2001 को आदेश 22 नियम 04 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया एवं उसी के क्रम में वकील वादी द्वारा दिनांक 05.12.2001 को संशोधित शीर्षक पेश किया गया। दिनांक 12.11.2002 को वकील वादी एवं प्रतिवादी को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर सुना गया तथा मृतक प्रतिवादी संख्या 01 केसर के वारिसान में पांची पुत्री कालू का अंकन लाल स्याही से किया गया। दिनांक 14.01.2003 को प्रतिवादीया पांची पुत्री कालू की ओर से वकील विश्वासभर द्वारा पेश किया गया जिसमें उन्होने प्रतिवादीया पांची पुत्री कालू की ओर से निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी लालू पुत्र फत्ता है, खसरा संख्या 328 से 331 ग्राम गेहलपुर में स्थित है, उपरोक्त कृषि भूमि के सहखातेदार उपरोक्त लालू पुत्र फत्ता एवं नारायण, भैंरू आदि पुत्रगण काना बैरवा होना तथा चन्द्रा, रामा, पुत्रगण लालू का नाऔलाद फौत होना स्वीकार है। किन्तु इस पैरा के शेष कथन गलत एवं अस्वीकार है। लालू पुत्र फत्ता के चार पुत्र संतान शोराम, चन्दा एवं कालू व रामा थे एवं उनका संयुक्त हिन्दु परिवार था। उपरोक्त लालू पुत्र फत्ता उसके मुखिया थे। इस पैरा में उल्लेखित कृषि भूमि संयुक्त परिवार श्रम अर्थ से विकसित की गई थी। उपरोक्त कृषि भूमि में नारायण आदि पुत्रगण काना का 1/3 हिस्सा होना स्वीकार है। शेष भूमि लालू के संयुक्त हिन्दु परिवार के संयुक्त कब्जे काश्त में थी। उपरोक्त लालू पुत्र फता के देहावसान से उपरोक्त कृषि भूमि में उपरोक्त भूमि में लालू के सम्पूर्ण हित अधिकार खातेदारी उनके पुत्रगण श्योराम, चन्दा, कालू तथा रामा में न्यसत हो गये। उपरोक्त चन्दा, रामा का निसंतान देहावसान होने से इस भूमि में सारे अधिकार श्योराम एवं कालू में न्यसत हो गये। इस प्रकार श्योराम एवं कालू बहिस्सा बराबर के सहखातेदार हो गये। उतरकर्ता प्रतिवादी संख्या 01 के पूर्व पति बींजा एवं उपरोक्त कालू की पूर्व पत्नी के देहावसान के पश्चात उपरोक्त कालू ने उतरकर्ता प्रतिवादी संख्या 01 से जातीय रीतीरिवाज से विधवा विवाह किया। वादीगण के पूर्वाधिकारी की जानकारी में प्रतिवादी संख्या 01 एवं उपरोक्त कालू ने अपने जीवन पर्यन्त पति पत्नी के रूप में सहचर्य अधिवास किया है। उतरकर्ता प्रतिवादी संख्या 01 जाति समाज में आज तक कालू की पत्नी के रूप में जानी जाती है। कालू की मृत्यु के उपरान्त उसकी हिस्से की समस्त भूमि में प्रतिवादीया संख्या 01 के अधिकार न्यस्त हो गये। इसी प्रकार उपरोक्त श्योराम के देहावसान के बाद उसके हिस्से में वादीगण के अधिकार न्यस्त हो गये। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वाद अधीन भूमि पर वादीगण ने उनके पूर्वाधिकारी श्योराम के देहावसान के बाद उत्तरकर्ता प्रतिवादी संख्या 01 के उपरोक्त कृषि भूमि न्यस्त हित अधिकार अन्तरण से वंचित होकर एवं उसको हडप करने के उद्देश्य से यह मिथ्या वाद प्रस्तुत किया है जो कि सव्यय सहित निरस्तनीय है। वाद के पैरा संख्या 02 के कथन गलत व अस्वीकार है। प्रतिवादीया संख्या 01 ग्रामीण परिवेश की अनपढ बेसहारा महिला है। उसके पति के देहावसान के बाद अपने लालन पालन व जीविकोपार्जन के लिये उसने उपरोक्त भूमि का बेचान दिनांक 07.09.1990 को प्रतिवादी संख्या 02 को विक्रय कर उनसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.05.27 18:22:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अराई

12000/– नकद प्राप्त कर लिये थे, उस समय प्रतिवादी संख्या 01 मौके पर काबिज थीं तथा उसी अनुसार उसने विक्रेता को कब्जा संभला दिया था। यदि प्रतिवादी संख्या 01 के पति कालू के स्थान पर तथाकथित राजस्व त्रुटियुक्त अंकन से लालू का नाम अंकन हो गया हो तो यह अंकन सादृश्य कारणों से है। इसमें प्रतिवादीया संख्या 01 की कोई दुरभावना नहीं थी, प्रतिवादीया संख्या 01 अशिक्षित थी। यह मिथ्याचार है कि राजस्व कर्मचारियों के समक्ष उक्त प्रतिवादी संख्या 01 ने लालू की पत्नी होने का प्रदर्शन किया हो। सत्य तो यह है कि उतरकर्ता प्रतिवादी संख्या 01, कालू की पत्नी थी तथा उसी का प्रदर्शन किया है। इस त्रुटियुक्त अंकन की जानकारी तो प्रस्तुत वाद को पढाने एवं समझाने पर उतरकर्ता प्रतिवादी को हुई है। प्रतिवादीया पांची पुत्री कालू की है और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रतिवादीया कालू की सम्पति की विधिक हकदार है। कालू एवं केसर के देहावसान के बाद उनकी एकमात्र वारिज काबिज काश्त होने से उपरोक्त कृषि भूमि में कालू एवं केसर के हिस्से की उत्तराधिकारी है तथा प्रस्तुत वाद अन्तरण प्रलेखों के अस्तीत्व में रहते हुये घोषणात्मक डिक्री निस्सार है तथा माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार के बाहर है अतः वादी का वाद निरस्तनीय है। दिनांक 20.01.2003 को अलग से तनकीयात संख्या 11 कायम की गई। दिनांक 10.03.2003 को रामकरण पुत्र श्योराम के बयान लिये गये तथा प्रदर्श का अंकन करवाया गया प्रदर्श ए 01 :– नामान्तरण दिनांक 18.11.1977, प्रदर्श ए 02 :– नामान्तरण दिनांक 05.07.1990 , प्रदर्श ए 03 :– नामान्तरण दिनांक 18.05.1995, प्रदर्श ए 04 :– पंचायत प्रमाण पत्र, प्रदर्श ए 05 :– पंचायत प्रमाण पत्र दिनांक 30.10.2001, प्रदर्श ए 06 :– रजिस्ट्री। दिनांक 25.03. 2003 को प्रतिवादी संख्या 01 राधाकिशन के बयान दर्ज किये गये। तथा दिनांक 22.04.2003 को प्रतिवादी की जिरह पूर्ण की गई। दिनांक 03.05.2003 को प्रतिवादी DW02 पांची के बयान दर्ज किये गये तथा दिनांक 20.01.2004 को प्रतिवादी DW03 रामधन, DW04 गोपाल के बयान दर्ज किये गये तथा प्रतिवादी की साक्ष्य बन्द की गई।

5. दिनांक 22.02.2004 को वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी पेश कर निवेदन किया कि जिसकी प्रति वकील प्रतिवादी को दी गई। दिनांक 30.06.2004 को उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी को इस आधार पर खारिज किया गया कि सहखातेदारान को प्रकरण की अन्तिम बहस के स्टेज पर पक्षकार बनाया जाना उचित नही है। दिनांक 24.08.2004 को पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर की निगरानी/टीए/96/04/अजमेर/27152 दिनांक 12.08.2004 आदेश दिनांक 11.08.2004 दस्ती आदेश पेश किया । तथा पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित की गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने उक्त निगरानी वास्ते आदेश दिनांक 30.06.2004 को खारिज कर पत्रावली को दिनांक 02.05.2014 को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के आदेश दिनांक 30.06.2014 को यथावत रखा जाता है तथा निगरानी खारिज की जाती है। प्रकरण पुनः दिनांक 14.05.2014 को पुन उपखण्ड न्यायालय किशनगढ में वास्ते बहस अन्तिम हेतु पेश हुआ। प्रकरण उपखण्ड न्यायालय अरांई के क्षेत्राधिकार का होने से पुनः न्यायालय अरांई में 04/2020 पर दर्ज किया गया जहां वकील उभयपक्ष द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

6. वकील वादी ने अपनी लिखित बहस वाद में अभिलिखित कथनों के दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा निम्नानुसार हैः– लालू पुत्र फत्ता के चार पुत्र है शोराम, चन्द्रा(नाऔलाद फौत),कालू तथा रामा (नाऔलाद [illegible]) इसी प्रकार शोराम के दो पुत्र हैं छीतर तथा रामकरण एवं छीतर के तीन पुत्र है पांचू [illegible] मदन। यह है कि वादीगण 01 से 03 के परदादा तथा वादी संख्या 04 के [illegible] प्रतिवादी संख्या 05 के दादी ससुर ग्राम गेहलपुर स्थित खसरा संख्या 328, 329, 330, 331 के सहकास्तकार थे। जमाबन्दी वर्ष सम्वत 2018 में उनका हिस्सा बराबर बराबर था जो इस प्रकार [illegible] लालू पुत्र फत्ता हिस्सा 1/3, छीतर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.05.27 18:22:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
अरांई

रामकरण श्योदान हिस्सा 1/3 बहिस्सा बराबर, नारायण भैंरू रिद्धकरण छोटी पितरान काना 1/3 बहिस्सा बराबर कौम बैरवा सा. देह शिकमी दर्शाया गया है तथा उन्हें इस कृषि भूमि का विधिवत खातेदार घोषित किया गया है। जैसा कि सजरा में दर्शाया गया है लालू वल्द फत्ता के चार पुत्र थे उनमें से दो चन्द्रा व रामा नाऔलाद फौत हो गये और लालू के वारिसान मात्र छीतर व उसके वारिसान एवं कालू ही रहे। कालू ने अपने जीवन काल में प्रतिवादीया संख्या 01 केसर को बतौर रखेल रख लिया यद्यपि राजस्व कर्मचारियों ने उसे नाता का नाम दिया। तथा कालू की मौत के उपरान्त चूंकि प्रतिवादीया कालू के साथ हिन्दु विवाह अधिनियम के तहत विवाह सम्पन्न नहीं हुआ अथवा प्रतिवादीया संख्या 01 कालू की उत्तराधिकारी नहीं बन सकती थी जिसके कारण लालू पुत्र फत्ता का 1/3 हिस्सा उसके उत्तराधिकारीयों विधिवत केवल और केवल छीतर व उसके वारिसानों के हो सकते अर्थात विवादित कृषि भूमि ग्राम गेहलपुर खसरा संख्या 328, 329, 330, 331 के लालू वल्द फत्ता के 1/3 हिस्से के लालू की मृत्यु के बाद वादीगण ही प्राप्त करने के अधिकारी हैं। यह है कि प्रतिवादीया संख्या 01 केसर चतुर प्रकार की औरत थी उसने कालू की मृत्यु के उपरान्त अपने आप को उसके ससुर लालू की पत्नी बताते हुये जबकि वह कालू की रखैल थी, लालू की मौत के बाद उसका विवादित कृषि भूमि का 1/3 हिस्सा स्थानीय राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत से अपने नाम कराने का प्रयास किया तथा नामान्तरण के समय छीतर एवं रामकरण के एतराज करने पर लालू वल्द फत्ता की 1/3 जायदाद का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 केसर के तथा 1/2 हिस्सा छीतर व रामकरण के नाम अंकित करने के आदेश माननीय तहसीलदार ने दिये। उक्त आदेश के बावजूद 26.01.1990 को नामान्तरण संख्या 94 के जरिये केशर बेवा लालू व छीतर व रामकरण शोराम हिस्सा 2/3 दर्ज करवा लिया जो कि प्रतिवादीया संख्या 01 की बदनियती थी और इस नामान्तरण का नाजायज फायदा उठा कर उसने अपना हिस्सा 1/3 जो उसका नहीं था, उसे अपने पूर्व पति से उत्पन्न लडके राधाकिशन वल्द बींजा के नाम बिना वास्तविक शुल्क 07.05.1990 को रूप्ये 12000/— में बेचान बताकर नामान्तरण संख्या 96 दिनांक 05.07.1990 राधाकिशन वल्द बींजा के नाम 1/3 हिस्सा जो मृतक लालू वल्द फत्ता का था। यहां यह कहना भी उचित होगा कि प्रतिवादीया संख्या 01 केसर लालू की पत्नी नहीं बल्कि लालू के पुत्र कालू की रखैल मात्र थी और उसने राजस्व विभाग को धोखा एवं कपट पूर्वक अपने आपको मृतक लालू की पत्नी दर्शा दिया जो कि कतई गलत है। यह है कि राधाकिशन पुत्र बींजा ने उक्त विवादित जायदाद का 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अमरपुरा रामधन पुत्र नारायण जाति बैरवा को हस्तान्तरित कर दिया। प्रतिवादीगण के उपरोक्त सरेकृत्य विधि विरूद्ध है। इन सब नामान्तरण एवं बेचान के उक्त जायदाद पर वादीगण का कब्जा है। यह है कि विवादित कृषि भूमि में मृतक लालू पुत्र फत्ता के 1/3 हिस्से के खातेदार उसके वारिस के रूप में वादीगण ही हैं। यदि मान भी लिया जाये कि प्रतिवादीया कालू की नाते की औरत थी तो भी वह मात्र 1/3 हिस्से का 1/2 हिस्सा अर्थात 1/6 हिस्सा ही प्राप्त करने की अधिकारिणी है इससे अधिक नहीं। यह है कि राधाकिशन पुत्र बींजा ने उक्त विवादित जायदाद का 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बेनामें के अमरा, भूरा, रामधन पुत्र नारायण के नाम से हस्तान्तरित कर दिया जो कि पूर्ण रूपेण विधि विरूद्ध होने से शून्य है। जबकि उपरोक्त भूमि का कब्जा आज भी वादीगण के पास ही है जो कि वादीगण के साक्ष्य से साबित है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 [illegible] दावे में स्वीकार किया है कि लालू पुत्र फत्ता के चार पुत्र थे जिनमें से चन्द्रा व [illegible] औलाद फौत हो जाने के बाद उनका हिस्सा श्योराम व कालू में न्यस्त [illegible] संख्या 01 को यदि कालू की पत्नी भी मान लिया जावे तो कालू की उपरोक्त [illegible] भूमि में 1/6 हिस्सा ही बनता है तो फिर प्रतिवादीया ने 1/3 भूमि का बेचान किस प्रकार [illegible] कर दिया। यह सब सोची समझी साजिश थी तथा उपरोक्त विवादित हिस्से को बेचान भी अपने पूर्व पति से उत्पन्न संतान को किया गया है जिससे प्रतिवादीया की दुर्भावना साफ जाहिर होती है। यह है कि प्रतिवादीया संख्या 01 की पुत्री

सहायक कलेक्टर
अरांई

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.05.27 18:22:16 IST
Reason: SelfAttested

पांची से प्रतिवादीगण ने जो कि उनकी सौतेली बहन होने के कारण अपने पक्ष में जवाबदावा लिखवाया गया है जबकि पांची भी अपने जवाब में स्वीकार करती है कि मैं तो केसर की पुत्री हूं तथा डीडब्ल्यू 02 पांची अपनी जिरह में कहती है कि राधाकिशन केसर का बेटा नहीं है जब कि राधाकिशन केसर पत्नी बींजा का ही पुत्र है यह बात स्वीकार करती है तथा अन्य गवाह भी यह स्वीकार करते हैं कि केसर कालू के नाते की ओरत थी। यह है कि वादीगण ने उक्त दावे के साथ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955 के तहत पेश किया था जिसके प्रकरण संख्या 20/1996 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ ने अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया था। संक्षेप में कथन है कि प्रतिवादीया संख्या 01 केसर बींजा की पत्नी थी तथा लालू पुत्र फत्ता की मात्र रखैल थी। इस कारण लालू पुत्र फत्ता ने विवादित कृषि भूमि के 1/3 हिस्से में प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार से हक हिस्सा नहीं बनता है तथा लालु पुत्र फत्ता के 1/3 हिस्से के हकदार वादीगण ही हैं और यदि प्रतिवादीया संख्या 01 को यदि कालू की पत्नी भी मान लिया जावे तो कालू का उपरोक्त विवादित भूमि में 1/6 हिस्सा ही बनता है।

7. वकील प्रतिवादी ने अपनी लिखित बहस में निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी लालू पुत्र फत्ता है, खसरा संख्या 328 से 331 ग्राम गेहलपुर में स्थित है, उपरोक्त कृषि भूमि के सहखातेदार उपरोक्त लालू पुत्र फत्ता एवं नारायण, भैंरू आदि पुत्रगण काना बैरवा होना तथा चन्द्रा, रामा, पुत्रगण लालू का नाऔलाद फौत होना स्वीकार है। किन्तु इस पैरा के शेष कथन गलत एवं अस्वीकार है। लालू पुत्र फत्ता के चार पुत्र संतान शोराम, चन्दा एवं कालू व रामा थे एवं उनका संयुक्त हिन्दु परिवार था। उपरोक्त लालू पुत्र फत्ता उसके मुखिया थे। इस पैरा में उल्लेखित कृषि भूमि संयुक्त परिवार श्रम अर्थ से विकसित की गई थी। उपरोक्त कृषि भूमि में नारायण आदि पुत्रगण काना का 1/3 हिस्सा होना स्वीकार है। शेष भूमि लालू के संयुक्त हिन्दु परिवार के संयुक्त कब्जे काश्त में थी। उपरोक्त लालू पुत्र फता के देहावसान से उपरोक्त कृषि भूमि में उपरोक्त भूमि में लालू के सम्पूर्ण हित अधिकार खातेदारी उनके पुत्रगण श्योराम, चन्दा, कालू तथा रामा में न्यसत हो गये। उपरोक्त चन्दा, रामा का निसंतान देहावसान होने से इस भूमि में सारे अधिकार श्योराम एवं कालू में न्यसत हो गये। इस प्रकार श्योराम एवं कालू बहिस्सा बराबर के सहखातेदार हो गये। उतरकर्ता प्रतिवादी संख्या 01 के पूर्व पति बींजा एवं उपरोक्त कालू की पूर्व पत्नी के देहावसान के पश्चात उपरोक्त कालू ने उतरकर्ता प्रतिवादी संख्या 01 से जातीय रीतीरिवाज से विधवा विवाह किया। वादीगण के पूर्वाधिकारी की जानकारी में प्रतिवादी संख्या 01 एवं उपरोक्त कालू ने अपने जीवन पर्यन्त पति पत्नी के रूप में सहचर्य अधिवास किया है। उतरकर्ता प्रतिवादी संख्या 01 जाति समाज में आज तक कालू की पत्नी के रूप में जानी जाती है। कालू की मृत्यु के उपरान्त उसकी हिस्से की समस्त भूमि में प्रतिवादीया संख्या 01 के अधिकार न्यस्त हो गये। इसी प्रकार उपरोक्त श्योराम के देहावसान के बाद उसके हिस्से में वादीगण के अधिकार न्यस्त हो गये। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वाद अधीन भूमि पर वादीगण ने उनके पूर्वाधिकारी श्योराम के देहावसान के उत्तरकर्ता प्रतिवादी संख्या 01 के उपरोक्त कृषि भूमि न्यस्त हित अधिकार अन्तरण से उद्वेलित होकर एवं उसको हडप करने के उद्देश्य से यह मिथ्या वाद प्रस्तुत किया है जो कि व्यय सहित निरस्तनीय है। वाद के पैरा संख्या 02 के कथन गलत व अस्वीकार है। प्रतिवादीया संख्या 01 ग्रामीण परिवेश की अनप[illegible] के देहावसान के बाद अपने लालन पालन व जीविकोपार्जन के लिये उसने उप[illegible] का बेचान दिनांक 07.09.1990 को प्रतिवादी संख्या 02 को विक्रय कर [illegible] 12000/- [illegible] थे, उस समय प्रतिवादी संख्या 01 मौके पर काबिज थीं तथा [illegible] को कब्जा संभला दिया था। यदि प्रतिवादी संख्या 01 के पति कालू के स्थान पर तथाक[illegible] राजस्व त्रुटियुक्त अंकन से लालू का नाम अंकन हो गया हो तो यह अंकन सादृश्य कारणों से है। इसमें प्रतिवादीया संख्या 01 की कोई दुरभावना नहीं थी, प्रतिवादीया संख्या 01 अशिक्षित थी। यह मिथ्याचार है कि राजस्व कर्मचारियों

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.05.27 18:22:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अरांई

के समक्ष उक्त प्रतिवादी संख्या 01 ने लालू की पत्नी होने का प्रदर्शन किया हो। सत्य तो यह है कि उत्तरकर्ता प्रतिवादी संख्या 01, कालू की पत्नी थी तथा उसी का प्रदर्शन किया है। इस त्रुटियुक्त अंकन की जानकारी तो प्रस्तुत वाद को पढाने एवं समझाने पर उत्तरकर्ता प्रतिवादी को हुई है। प्रतिवादीया पांची पुत्री कालू की है और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रतिवादीया कालू की सम्पति की विधिक हकदार है। कालू एवं केसर के देहावसान के बाद उनकी एकमात्र वारिज काबिज काश्त होने से उपरोक्त कृषि भूमि में कालू एवं केसर के हिस्से की उत्तराधिकारी है तथा प्रस्तुत वाद अन्तरण प्रलेखों के अस्तीत्व में रहते हुये घोषणात्मक डिक्री निस्सार है तथा माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार के बाहर है अतः वादी का वाद निरस्तनीय है।

8. वकील वादी की लिखित बहस के उपरान्त हमारे द्वारा प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया गया जो इस प्रकार है:–

तनकी संख्या 01 :– आया वाद के पैरा संख्या 01 में वर्णित वादअधीन भूमि ग्राम गेहलपुर के खसरा संख्या 328, 329, 330, 331 में लालू पुत्र फत्ता के 1/3 हिस्से की भूमि के वादीगण खातेदार कृषक घोषित होने के अधिकारी है?

...........वादी

विवेचनः– वाद पत्र के अध्ययन तथा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से तथा बयान गवाहात से यह तथ्य स्पष्ट है कि वादअधीन भूमि में लालू पुत्र फत्ता का 1/3 हिस्सा था लेकिन स्वयं वादीगण ने इस तथ्य को स्वीकारा है कि प्रतिवादीया संख्या 01 केसर, कालू की नाते से लायी हुई पत्नी थी। गवाह पीडब्ल्यू 01 रामकरण स्वयं अपने बयानों में कथन करता है कि केसर कालू की ब्याहता नहीं होकर नाते से लाई हुई पत्नी है तथा बींजा के मरने के उपरान्त केसर ने कालू से नाता विवाह कर लिया था तथा वादीगण ने लिखित बहस में भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि यदि केसर को कालू की नाता से ब्याहता भी मान लिया जावे तो भी उसका हिस्सा 1/6 बनता है। पंचायत के प्रमाण पत्र तथा गवाहान के बयान से स्पष्ट है कि केसर कालू की ब्याहता नहीं होकर नाते से लाई हुई पत्नी है। अतः उक्त तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी तय की जाती है।

तनकी संख्या 02 :– आया वाद के पैरा संख्या 02 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 ने छलपुर्वक स्वयं को मूल खातेदार लालू की पत्नी प्रकट कर लालू के 1/3 हिस्से का राजस्व पत्रों में अशुद्ध अंकन करवा लिया। जिसकी दुरूस्ती आवश्यक है?

.........वादीगण।

विवेचनः– उक्त विवाद्यक की सिद्धी का भार वादीगण पर था किन्तु वादीगण द्वारा ऐसे कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जिससे यह प्रकट हो कि प्रतिवादीया ने उपरोक्त अंकन करवाया हो। लेकिन दस्तावेजात के अवलोकन व बयान गवाहात से स्पष्ट है कि प्रतिवादीया संख्या 01 केसर, कालु पुत्र लालू की पत्नी थी ना कि कालु पुत्र फत्ता की, अतः उक्त तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03 :– आया स्व. लालू पुत्र फत्ता के 1/3 हिस्से की भूमि वादीगण के कब्जे काश्त में हैं?

....वादीगण

विवेचनः– बयान गवाह स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि पर उक्त भूमि पर पांचू का ही कब्जा था लेकिन वादीगण द्वारा उक्त कथन की पुष्ठि हेतु कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। अतः उपरोक्त तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.05.27 18:22:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
अराई

तनकी संख्या 04 :– आया प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा किये गये विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 96 दिनांक 05.07.1998 शून्य घोषित करवाने का अधिकारी है?

विवेचनः– वाद पत्र के अध्ययन तथा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से तथा बयान गवाहात से ....वादी

यह तथ्य स्पष्ट है कि वादअधीन भूमि में लालू पुत्र फत्ता का 1/3 हिस्सा था लेकिन स्वयं वादीगण ने इस तथ्य को स्वीकारा है कि प्रतिवादीया संख्या 01 केसर, कालू की नाते से लायी हुई पत्नी थी। गवाह पीडब्ल्यू 01 रामकरण स्वयं अपने बयानों में कथन करता है कि केसर कालू की ब्याहता नहीं होकर नाते से लाई हुई पत्नी है तथा बींजा के मरने के उपरान्त केसर ने कालू से नाता विवाह कर लिया था तथा वादीगण ने लिखित बहस में भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि यदि केसर को कालू की नाता से ब्याहता भी मान लिया जावे तो भी उसका हिस्सा 1/6 बनता है। पंचायत के प्रमाण पत्र तथा गवाहान के बयान से स्पष्ट है कि केसर कालू की ब्याहता नहीं होकर नाते से लाई हुई पत्नी है। केसर के पुत्र राधाकिशन ने भी यह तथ्य स्वीकारा है कि केसर कालू की पत्नी थी ना कि लालू पुत्र फत्ता की। अतः विरासत के आधार पर केसर पत्नी कालू 1/6 हिस्से की ही अधिकारी थी। अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान केसर पत्नी कालू ने अपने ही पुत्र राधाकिशन को कर दिया। लेकिन विरासत के आधार पर केसर पत्नी कालू का 1/12 हिस्सा तथा पांची पुत्री कालू का 1/12 हिस्सा बनता था। केसर पत्नी कालू अपने 1/12 हिस्से तक ही बेचान कर सकती थी। उपरोक्त परिपेक्ष्य में यह तनकी आंशिक रूप से निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 05:– आया वादी विरूद्ध प्रतिवादी विभाजन की डिक्री पाने का अधिकारी है?

......वादी

विवेचनः– तनकी संख्या 01 की रूह में यह तथ्य तो स्पष्ट है कि वादीगण उक्त भूमि में 1/6 हिस्से के जरिये विरासत के खातेदार थे लेकिन वादपत्र में सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा राज.का.अधि. की धारा 53 के अनुसार विभाजन हेतु सभी खातेदारान को पक्षकार बनाया जाना अतिआवश्यक है, अतः विभाजन करवाने का अधिकारी नही है। अतः उपरोक्त तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 06:– आया वादी विरूद्ध प्रतिवादी वाद पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमि में स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पाने का अधिकारी है?

......वादी

विवेचनः– तनकी संख्या 01 व 05 की रूह में यह तथ्य स्पष्ट है कि वादीगण उक्त भूमि में 1/6 हिस्से के जरिये विरासत के खातेदार थे अतः खातेदार काश्तकार होने से राज.का.अधि. 1955 के तहत वादीगण 1/6 हिस्से का अधिकारी है तथा उसी के अनुक्रम में स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है अतः उपरोक्त तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.05.27 18:22:16 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला मजिस्ट्रेट एवं सहायक कलेक्टर अरांई

तनकी संख्या 07:– आया जवाबदावे के पैरा संख्या ... के अनुसार प्रतिवादी संख्या 02 वादअधीन भूमि का सद्भाविक क्रेता है?

....प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
अरांई

विवेचनः— चूंकि उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था लेकिन तनकी संख्या 01 व 05 की रूह में यह तथ्य स्पष्ट है कि केसर लालू की नाते की पत्नी थी तो भी उसका उक्त विवादित भूमि में 1/6 हिस्सा ही बनता था जबकि उसने अपने हिस्से से अधिक का बेचान प्रतिवादी संख्या 02 राधाकिशन पुत्र बींजा को कर दिया। अतः उपरोक्त तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 08:— आया प्रतिवादी उत्तरकर्ता का कब्जा काश्त वादअधीन भूमि पर परिपक्व है

....प्रतिवादी

विवेचनः— तनकी संख्या 01 व 04 की रूह में यह तथ्य प्रकट है कि प्रतिवादी संख्या 01 केसर ने उक्त वादअधीन भूमि प्रतिवादी संख्या 02 को तथा प्रतिवादी संख्या 03 ने उक्त भूमि अन्य प्रतिवादीगण को बेच दी थी। लेकिन गवाहान के बयान से साबित होता है कि उक्त भूमि पर क्रेता का कब्जा नहीं रहा ना ही प्रतिवादीगण ने उक्त तनकी के साक्ष्य में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये है। अतः उपरोक्त तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 09:— आया विक्रयपत्रों के निरस्तीकरण का अधिकार इस योग्य न्यायालय को नहीं है

....प्रतिवादी

विवेचनः— विक्रय विलेखों की वैद्यता का अवधारण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालयों को है। उपरोक्त तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 11:— आया प्रतिवादी संख्या 1/9 पांची पत्नी मदन, कालू की पुत्री है?

...प्रतिवादी

विवेचनः— वादीगण ने उक्त तथ्य की कही भी खंडन नहीं किया है कि पांची कालू की पुत्री नहीं हो। प्रतिवादी ने उक्त तनकी के साक्ष्य मे दस्तावेज प्रस्तुत कियें है प्रदर्श ए 04 :— पंचायत प्रमाण पत्र, प्रदर्श ए 05 :— पंचायत प्रमाण पत्र दिनांक 30.10.2001, जिनसे प्रमाणित होता है कि पांची केसर पत्नी लालू की पुत्री थी। इसी के अनुक्रम बयान गवाहात का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि रामधन पुत्र नारायण, राधाकिशन पुत्र बींजा तथा रामकरण पुत्र श्योराम ने भी उक्त तथ्य को स्वीकारा है कि प्रतिवादी संख्या 1 /9 पांची , प्रतिवादीया संख्या 01 केसर पत्नी कालू की ही पुत्री है। उपरोक्त तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी निर्णीत की जाती है।

वाद के तनकीवार विवेचन तथा तमाम साक्ष्य व सबूतों व बयान गवाह का अवलोकन व मनन किये जाने के उपरान्त यह अदालत राजस्व उपखण्ड न्यायालय अराई इस नतीजे पर पहुंची है कि लालू वल्द फत्ता का विरासत का नामान्तरण त्रुटिपूर्ण इन्द्राज किया गया तथा उसी त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के आधार पर केसर द्वारा अपने तथाकथित 1/3 हि[illegible]न कर दिया जबकि कालु के पत्रावली पर उपलब्ध सजरानुसार कालु के [illegible] पांची पुत्री कालु पत्नी मदन बैरवा निवासी काकलवाडा और विरासत के अनु[illegible] केसर पत्नी कालु का 1/12 हिस्सा तथा पांची पुत्री कालु पत्नी मदन बैरवा निवासी काकलवा[illegible] का 1/12 हिस्सा बनता था। केसर द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.05.27 18:22:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अरांई

अपने हिस्से तक का बेचान तो किया ही जा सकता था, इस आधार पर केसर का राधाकिशन को बेचान का नामान्तरण खारिज पूर्णतया नही किया जा सकता है। अतः वादी का वाद आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा केसर कथित पत्नी लालू के द्वारा राधाकिशन के नाम बेचान के नामान्तरण संख्या 96 दिनांक 05.07.1998 को विधि विरूद्व मानते हुये लालु वल्द फत्ता की 1/3 हिस्से की ग्राम गेहलपुर स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 328, 329, 330, 331 में 1/6 हिस्से मे विरासत के अनुसार शोराम उर्फ श्योराम के वारिसानों को तथा केसर के अपने हिस्से 1/12 के बेचान के उपरान्त शेष रहे 1/12 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1/9 पांची (पुत्री केसर पत्नी कालु) पत्नी मदन बैरवा निवासी काकलवाडा को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जातें है कि वे वर्तमान रिकार्ड अनुसार अमरा पुत्र नारायण, भूरा पुत्र नारायण, रामधन पुत्र नारायण के हिस्से क्रमशः 2/9, 2/9, 2/9 में से क्रमशः 1/12, 1/12, 1/12 हिस्सा विलोपित कर उक्त कुल 1/4 हिस्से में से 1/12 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1/9 पांची (पुत्री केसर पत्नी कालु) पत्नी मदन बैरवा निवासी काकलवाडा के नाम का अंकन करें तथा शेष 1/6 हिस्से मे श्योराम उर्फ शोराम के वारिसानों के नाम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। बैंक का रहन यदि किसी खातेदार के है तो वह उसके उपरोक्त संशोधन उपरान्त नवीन हिस्से तक ही रहेगा।

आदेश आज दिनांक 02/2/2024 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षरों के बाद सुनाया गया।

देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
अरांई (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.05.27 18:22:16 IST
Reason: SelfAttested